मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः17.12.2025

थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा डीसीएम में लादकर वध हेतु ले जाए जा रहे 33 राशि गोवंश बरामद, 01 गो-तस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल सहित 02 गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस बरामद —

‘सोमेन बर्मा’ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थाना लालगंज पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः17.12.2025 को थाना लालगंज पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि डीसीएम सवार गो-तस्कर गोवंशों को सीधी मध्य प्रदेश से लादकर वध हेतु बिहार ले जा रहें है। उक्त सूचना पर थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा तेन्दुई ओवर ब्रिज हाइवे सर्विस लेन के पास डीसीएम वाहन को रोकने का प्रयास किया गया तो गो-तस्कर वाहन से नीचे उतरें और गिरफ्तारी से बचने हेतु एक गो-तस्कर द्वारा पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी, जिसमें गो-तस्कर सोनू बिन्द पुत्र जैशनाथ उर्फ टुनटुन निवासी चक्रपानपुर थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी के पैर में गोली लगी है। पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार गो-तस्कर सोनू बिन्द उपरोक्त को पुलिस अभिरक्षा में इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है तथा दूसरा गो-तस्कर मिथिलेश कुमार पुत्र मदन बिन्द निवासी चक्रपानपुर थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी वाहन की चपेट में आने से घायल हो गया, जिसे मौके से पकड़ लिया गया। मौके से डीसीएम वाहन में क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु ले जाए जा रहे 33 राशि गोवंश(15 राशि गाय व 18 राशि बैल/बछड़ा) तथा मुठभेड़ की घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त पुलिस मुठभेड़ एवं गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1.सोनू बिन्द पुत्र जैशनाथ उर्फ टुनटुन निवासी चक्रपानपुर थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी,उम्र करीब-23 वर्ष (पुलिस मुठभेड़)

2.मिथिलेश कुमार पुत्र मदन बिन्द निवासी चक्रपानपुर थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी, उम्र करीब-21 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

33 राशि गोवंश (15 राशि गाय व 18 राशि बैल/बछड़ा)

डीसीएम वाहन संख्याःMP09GH2701.

01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास —

a.अभियुक्त सोनू बिन्द उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0-290/2021 धारा 323,354क,504,506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट,थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी।
2.मु0अ0सं0-148/2022 धारा 323,504,506 भादवि,थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी।
3.मु0अ0सं0-127/2023 धारा 363,366 भादवि,थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी।
4.मु0अ0सं0-134/2024 धारा 3(1)द ध,3(2)एससी/एसटी एक्ट व 115(2),117(2),352 बीएनएस,थाना कछवां जनपद मीरजापुर।
5.मु0अ0सं0-353/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना लंका जनपद वाराणसी।

b. अभियुक्त मिथिलेश कुमार-

मु0अ0सं0-109/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक लालगंज-अभय कुमार सिंह मय पुलिस टीम ।

****